संजय मल्होत्रा आई.ए.एस.
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर– 302005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि० कार्या० : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005, दूरभाष 0141–2740382–1318, फैक्स: 0141–2747035
वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com; email: cmd@jvvnl.in, CIN: U40109RJ2000SGC016486

क्रमांकः अध्यक्ष डिस्कॉम्स/एमआईएस/पत्रा. /प्रे.26 जयपुर, दिनांकः 06.05.2016

ऊर्जा मित्र सम्मान

उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर करने का कार्य वितरण निगमों ने हाथ में लिया है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर की टोल–फ्री सुविधा को पहुंचाया गया है, कॉल सेन्टर में बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों के अलावा जले हुए ट्रॉंसफॉर्मरों को बदलने में देरी होने, दुर्घटना संभावित स्थानों एवं विद्युत चोरी की सूचना देने एवं निगम कर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायतों को भी पंजीकृत कर समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। वितरण तंत्र के निकट विद्युत से वंचित 2.84 लाख आवासों को गत वर्ष 30 अगस्त से 11 अक्टूबर, 2015 तक कैम्प लगा कर कनेक्शन जारी किये गये इस वर्ष भी इस प्रकार के कैम्प लगाये जावेंगे। लम्बे समय से बंद/खराब मीटरों को तेजी से बदलने की कार्यवाही प्रगति पर है परन्तु इन सभी कार्यों के और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये उपभोक्ताओं का सहयोग प्राप्त करना भी अति आवश्यक है। उपभोक्ताओं से निरन्तर संवाद स्थापति करने, प्रोत्साहित करने व उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से अच्छे उपभोक्ताओं का चयन कर उनको **ऊर्जा मित्र** सम्मान प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न मापदण्डों के आधार पर उपभोक्ताओं का चयन कर उन्हे सम्मानित करने हेतु कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. ऊर्जा मित्र हेतु उपभोक्ताओं का चयन

राज्य में बिजली क्षेत्र के विकास में उपभोक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे उपभोक्ता जो वर्ष 2015–16 में निम्न क्षेत्रों में वितरण निगमों को सहयोग करते रहे हों उन्हे ऊर्जा मित्र सम्मान प्रदान करने हेतु चयनित किया जावेगा।

1.1 ऐसे नियमित उपभोक्ता जो बिल जमा कराने की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व बिल की संपूर्ण राशि जमा कराते हैं।

1.2 जिनके बिजली के कनेक्शन का मीटर वर्ष 2015–16 में खराब/बन्द/जला/लॉक न रहा हो अर्थात् पूरे वर्ष वास्तविक उपभोग के आधार पर बिलिंग हुई हो।

1.3 जिनके आवासीय/खेत/औद्योगिक या अन्य परिसर में विद्युत चोरी या विद्युत का अनाधिकृत उपभोग करने सम्बंधी कोई वी.सी.आर नही भरी गयी हो।

1.4 उपखण्डवार ऐसे सभी उपभोक्ताओ की कम्प्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम से सूची–1 तैयार की जावेगी।

1.5 उपभोक्ताओं की चयनित सूची–1 में से कम्प्यूटर द्वारा रेण्डम प्रणाली से जिला स्तर पर सम्मानित करने हेतु उपखण्डवार 11 उपभोक्ताओं का चयन कर सूची–2 तैयार की जावेगी।

1.6 उपभोक्ता का श्रेणीवार चयन इस प्रकार किये जावे कि सभी प्रमुख श्रेणियों के उपभोक्ताओं का समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो जावे, परन्तु इस प्रकार चयन करें कि कम से कम निम्न संख्या में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व हो सके:

(क) ग्रामीण क्षेत्र के उपखण्ड

घरेलू उपभोक्ता	– 2
अघरेलू उपभोक्ता	– 1
कृषि उपभोक्ता	– 2
औद्योगिक उपभोक्ता	– 1

(ख) शहरी क्षेत्र के उपखण्ड

घरेलू उपभोक्ता	– 3
अघरेलू उपभोक्ता	– 2
औद्योगिक उपभोक्ता	– 2

1.7 उपरोक्त मापदंडों के आधार पर यदि किसी श्रेणी में उपयुक्त उपभोक्ता न मिले या उस श्रेणी में कोई उपभोक्ता उपलब्ध न होने पर जिस श्रेणी में अनुपात में उपभोक्ता अधिक हो उस श्रेणी के उपभोक्ताओं में से चयन किया जावेगा।

1.8 लेखाधिकारी (राजस्व/नियंत्रण) एवं अधीक्षण अभियंता (आई.टी.) संयुक्त रूप से बिलिंग ऐजेन्सी से योग्य उपभोक्ताओं की सूची–1 व सूची–2 तैयार कर 20 मई, 2016 तक सचिव (प्रशासन) एवं सम्बंधित अधीक्षण अभियंता (पवस) को उपलब्ध करावेंगे।

2. <u>ऊर्जा मित्र सम्मान</u>

2.1 **ऊर्जा मित्र सम्मान** समारोह प्रत्येक जिला स्तर पर आयोजित किये जायेंगे।

2.2 सूची–1 में चिन्हित उपभोक्ताओ को प्रबंध निदेशक से हस्ताक्षरित ऊर्जा मित्र प्रमाण पत्र भेजा जावेगा एवम्

2.3 सूची–2 में चयनित उपभोक्ताओं को जिला स्तरीय समारोह में चाँदी के 10 ग्राम के मेडल सहित प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षरित ऊर्जा मित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा।

3. ऊर्जा मित्र सम्मान समारोह की पूर्व व्यवस्था

3.1 ऊर्जा सम्मान समारोह की व्यवस्था के लिये निम्न कमेटी कार्य करेगी।

अधीक्षण अभियन्ता	प्रभारी अधिकारी
लेखाधिकारी	सदस्य
कार्मिक अधिकारी	सदस्य सचिव

3.2 समारोह के आयोजन की तिथि की एकरूपता के लिये 7 जून, 2016 महाराणा प्रताप जयन्ती रखी जावे। यदि स्थानीय स्तर पर कोई अन्य वृहद राजकीय/सामाजिक कार्यक्रम होने की स्थति में विचार विमर्श कर समारोह की तिथि 4 या 12 जून रखी जा सकेगी।

3.3 ऊर्जा सम्मान समारोह में जन प्रतिनिधियों (सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान) स्थानीय प्रशासन (जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, ब्लॉक अधिकारी) व मीडिया प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता (पवस) द्वारा 25 मई, 2016 तक सूचना भेजी जावेगी।

3.4 जिला स्तर पर कार्मिक अधिकारी सूचनाओं का संकलन करेंगे।

3.5 ऊर्जा मित्र मेडल एवं प्रमाण पत्र मुद्रण हेतु सचिव (प्रशासन) निगम स्तर पर कार्यवाही करेंगे एवं अधीक्षण अभियंता (पवस) को 31 मई, 2016 तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे।

3.6 अधीक्षण अभियंता (पवस) सूची–1 के सभी उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र की प्रति समारोह से पूर्व भेजने की व्यवस्था करेंगे।

3.7 अधीक्षण अभियंता (पवस) सूची–2 में चयनित प्रत्येक उपखण्ड के 11 उपभोक्ताओं के प्रमाण–पत्र व मेडल समारोह में प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही करेंगे।

3.8 ऊर्जा मित्र सम्मान के लिये सूची–2 में चयनित प्रत्येक उपखण्ड के 11 उपभोक्ताओं को एक सप्ताह पूर्व अधीक्षण अभियंता द्वारा आमंत्रण पत्र भेजा जावेगा। अधिशाषी अभियंता प्रत्येक चयनित उपभोक्ता से वार्ता कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हे आमंत्रण पत्र प्राप्त हो गया है।

4. समारोह की व्यवस्था

4.1 समारोह स्थल पर कूलर, पानी, छाया, बैठने व माईक व फ्लेक्स पम्पलेट इत्यादि की व्यवस्था अधीक्षण अभियन्ता (पवस) के नेतृत्व में गठित कमेटी द्वारा की जावेगी। इसके लिए अधिकतम 10 हजार रूपये का अतिरिक्त बजट निदेशक (वित्त) विद्युत वितरण निगम द्वारा प्रावधान किया जावेगा, जिसका सत्यापन जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा।

4.2 समारोह में सम्मान के लिए चयनित उपभोक्ताओं के बैठक के लिए अलग से विशेष व्यवस्था होगी।

4.3 समारोह के कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ कर जहाँ तक संभव हो दोपहर तक सम्पन्न करने की कार्यवाही की जावे।

4.4 समारोह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जावे व अधीक्षण अभियंता द्वारा अधिकृत विज्ञप्ति जारी की जावे।

5. प्रचार–प्रसार

5.1 ऊर्जा सम्मान दिवस की तिथि 20 मई–2016 तक निश्चित कर स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जावेगा।

5.2 ऊर्जा सम्मान प्रदान करने के उद्देश्यों को सार्वजनिक रूप से सभी उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए 6X4 फीट के फ्लेक्स में सहायक अभियन्ता कार्यालय में स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जावे व समारोह स्थल पर भी इस फ्लेक्स को प्रदर्शित किया जावे। (प्रपत्र संलग्न)

5.3 प्रचार–प्रसार के लिए निगम के जन सम्पर्क अधिकारी निगम स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध विज्ञप्तियां जारी करावेंगे व जिलों में पदस्थापित जनसम्पर्क अधिकारी से समन्वय रख योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करावेंगे ।

6. समारोह के बाद

6.1 समारोह के बाद जिला स्तर पर जिला स्तर पर अधीक्षण अभियंता जिला जन संपर्क अधिकारी के सहयोग से व निगम स्तर पर जन संपर्क अधिकारी अधीक्षण अभियंता (प्लान) के साथ समन्वय कर आम जन की जानकारी हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे।

6.2 सूची–1 एवम् सूची–2 के उपभोक्ताओ से रेण्डम आधार पर प्रत्येक उपखण्ड के सहायक अभियन्ता प्रतिदिन 5 उपभोक्ताओ से, अधिशाषी अभियन्ता खण्ड स्तर पर 10 उपभोक्ताओ से एवम् प्रावैधिक सहायक– अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स) वृत स्तर पर 10

उपभोक्ताओं से प्रतिदिन वार्ता करेगें एवम् उनसे विद्युत आपूर्ति, अन्य समस्याएं एवम् सुझावों के लिए फीड–बैक प्राप्त करेगें।

6.3 कैम्पों या अन्य समारोह में भी इन उपभोक्ताओ से अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु सम्पर्क किया जावेगा।

6.4 निगम स्तर पर उपभोक्ताओ लाभार्थी योजनाओं के बारे मे एस.एम.एस द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम/वाणिज्य) समय–समय पर सूचना प्रसारित करेगें।

6.5 अधिशाषी अभियन्ता (प.स.स) द्वारा ऊर्जा मित्रों को विद्युत चौपालो में भाग लेने हेतु प्रत्येक चौपाल से पूर्व आमंत्रित किया जावे।

6.6 ऊर्जा मित्रों के किसी भी स्तर पर कार्यालय आगमन के दौरान उनके सुझावों को प्राथमिकता से सुना जावेगा एवम् प्रत्येक सोमवार को सांय तीन से चार बजे तक इन्हें सुझाव देने तथा वार्ता हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

सम्भागीय मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी जिलों में व्यवस्थित रूप से ऊर्जा मित्र समारोह सम्पन्न हो, समय पूर्व सभी कार्यवाहियाँ सुव्यवस्थित होवें एवम् समारोह के बाद ऊर्जा मित्र उपभोक्ताओ के सुझावों का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके तथा निरन्तर सवांद बना रहे।

(संजय मल्होत्रा)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :–

1. वरिष्ठ उप सचिव–मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव–शासन सचिव–मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव–ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव–अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर।
6. निदेशक (तकनीकी/वित्त), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर /जोधपुर।
7. संभागीय मुख्य अभियन्ता (   ), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ... को पालनार्थ व अधीनस्थ सभी अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
8. सचिव प्रशासन, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर /जोधपुर।
9. प्रावैधिक सहायक, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार को माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
10. निजी सहायक–जिला कलेक्टर, ... ।
11. जन संपर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

6/5/16
(टी. एस. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (एम.आई.एस.)